(c) The Government has taken following measures to boost sugar production during 1993-94 sugar season :—

(i) Early crushing incentives were announced in the form of higher freesale quota at 72%, as against the normal entitlement of 60%, to sugar mills for the production achieved during the period 1-10-1993 to 15-11-1993.

(ii) Mid-crushing incentives were announced in the form of higher freesale quota at 80%, as against the normal entitlement of 60%, to sugar mills for the additional/incremental production to be achieved during the period 1-1-1994 to 30-4-1994 over the production during the same period in 1992-93 season.

(iii) Late-crushing incentives were announced in the form of higher freesale quota at 72%, as against the normal entitlement of 60%, to sugar mills for the production to be achieved during the period 1-5-1994 to 31-7-1994.

(iv) Finance Ministry/Reserve Bank of India have been requested to provide need-based credit to the sugar industry during 1993-94 season.

(v) State Governments has been requested to ensure prompt clearance of cane price dues to the farmers by the sugar factories.

(vi) The loan component for grant of Sugar Development Fund assistance for KT Weirs and lift irrigation schemes has been enhanced from 66.6% to 90% of the project cost.

(vii) The Statutory Minimum Price (SMP) for sugarcane for 1993-94 season has been announced at Rs. 34.50 per quintal, linked to a basic recovery of 8.5%, as against Rs. 31 per quintal for 1992-93 season. An advance announcement of SMP for 1994-95 season has also been made at Rs. 37 per quintal, linked to a basic recovery of 8.5%.

(viii) The incentive scheme for new sugar factories and expansion projects has been suitably revised.

(ix) State Governments have been requested to consider various measures to contain diversion of cane to Gur and Khandsari Units.

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

3360. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कौन-कौन सी चीनी मिलों को स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) इनमें से कितनी चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जिनके कारण उन चीनी मिलों का कार्य रुका हुआ है जहां अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि बहुत सी चीनी मिलों में वित्तीय बाधाओं के कारण उत्पादन आरम्भ नहीं हो पाया है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी मिलों को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जिन आवेदकों को

आशय-पत्र जारी किए गए हैं उनके नामों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। **(नीचे देखिए)**

(ख) अभी तक एक चीनी मिल ने उत्पादन शुरू किया है।

(ग) और (घ) व (ङ) एक नई चीनी फैक्ट्री की स्थापना में लगभग 3 से 4 वर्ष लगते हैं। पिछले तीन चीनी वर्षों के दौरान लाइसेंस दी गई चीनी फैक्ट्रियां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। तथापि, कुछ मामलों में वित्तीय संस्थाओं से कोष का उपलब्ध न होना भी उनके कार्यान्वयन में बाधक है।

(च) जी, नहीं

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। उद्यमियों को इस संबंध में वित्तीय संस्थाओं आदि के माध्यम से स्वयं ही आवश्यक प्रबंध करने होते हैं।

विवरण

पिछले तीन चीनी वर्षों अर्थात् 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (अक्तूबर–सितम्बर) के दौरान देश में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए जिन आवेदकों को आशय-पत्र जारी किए गए उनके नामों की सूची

क्रम सं०	मिल का नाम
	पंजाब
1	मैं० राणा शुगर्स लि० बुट्टेर-सायन, जिला अमृतसर
2	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, स्थान तहसील दसुया, जिला होशियारपुर
3	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, कपूरथला, जिला कपूरथला
4	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, पातड़ां, तहसील समाना, जिला पटियाला
5	मैं० नहार शुगर एंड एलाईड इंडस्ट्रीज लि०, अमलोह, तहसील नाभा, जिला पटियाला
6	पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, बाबा-बकाला, जिला अमृतसर
	उड़ीसा
7	इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०, स्थान तहसील बौध, जिला फुलबानी,
8	इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०, स्थान तहसील मांजानगर, जिला गंजम
	आन्ध्र प्रदेश
9	सुगान्थम शुगर्स लि०, निन्द्रा गांव, निन्द्रा मण्डलम, जिला चित्तूर

क्रम सं०	मिल का नाम
	मध्य प्रदेश
10	नर्मदा शुगर लि०, खलबुजुर्ग, तहसील कसारवाड, जिला खरगोन
	उत्तर प्रदेश
11	धामपुर चीनी मिल्स लि०, असमोली, तह० सम्भल जिला मुरादाबाद,
12	मैं० मुकेश जसनानी, मॉडर्न सिल्क हाऊस, गडौरा, तहसील निचलौल, जिला महाराजगंज
13	श्री हरीश चन्द्र सिंह, जसवंतनगर, जिला इटावा
	महाराष्ट्र
14	पुष्पदन्तेश्वर एसएसके लि०, शमशेरपुर, तहसील नन्दूरबर, जिला धुलिया
15	मैं० पदमश्री डा० विट्ठलराव विखे पाटिल एसएसके लि०, कोठी, तालुका कैंज, जिला बीड
	हरियाणा
16	यूनाईटेड वनस्पती लि०, नारायणगढ़, जिला अम्बाला,
	गुजरात
17	श्री नीजार विभाग सहकारी खांड उद्योग मण्डली लि०, नीजार, जिला सूरत,

Conversion of Letters of Intent for New Sugar Factories

3361. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to simplify the procedures for converting letters of intent for setting up new sugar factories into industrial licences; and

(b) if so, what are the details of the revised procedures?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) and (b) Yes, Sir. A Group was constituted under the Chairmanship of Additional Secretary (Food) to review the procedure for conversion of letters of intent into industrial licences, issue of completion certificates and release of incentives to sugar factories set up after grant of letters of intent. A copy of the Press Note issued in this connection on 16-2-1994 showing the salient features of the recommendations made by the Group is enclosed as statement.